



दक्खण पूर्व मध्य रेलवे / SOUTH EAST CENTRAL RAILWAY

	 कार्यालय Office of the मुख्य वाणिज्य प्रबंधक Chief Commercial Manager, बिलासपुर - (छ.ग.) Bilaspur(C.G.)
दर परिपत्र स. 58(माल)/2017	Rates Circular No.58(G)/2017

सं No.C/SECR/BSP/Iron Ore/Policy/ 1630

दिनांक / Date: 22/03/2017

सभी मुख्य स्टेशन प्रबंधक, स्टेशन अधीक्षक, मुख्य माल पर्यवेक्षक, माल पर्यवेक्षक, माल लिपिक एवं साईडिंग लिपिक, वे-ग्रिज लिपिक, मुख्य वाणिज्य निरीक्षक, वाणिज्य निरीक्षक, वरिष्ठ ट्राफिक निरीक्षक एकाउंट, ट्राफिक निरीक्षक एकाउंट / दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू।

मंडल रेल प्रबंधक / DRMs / द.पू.म.रे. बिलासपुर, रायपुर एवं नागपुर। वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबंधक, / Sr.DCMs बिलासपुर, रायपुर एवं नागपुर। वरिष्ठ मण्डल परिचालन प्रबंधक, / Sr.DOMs बिलासपुर, रायपुर एवं नागपुर। मुख्य वाणिज्य नियंत्रक, / Chief Commercial Control बिलासपुर। एरिया रेलवे मैनेजर / ARMs भिलाई, कोरवा, शहडोल एवं ब्रजराजनगर। मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी / CPRO बिलासपुर, वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी / FA&CAO, उप मुख्याधिकारी (टी) / Dy.FA&CAO(T) एवं वरिष्ठ एकाउंट अधिकारी (टी) द.पू.म.रे. बिलासपुर / Sr.AFA(TA) वरिष्ठ उप मुख्य महाप्रबंधक / SDGM, मुख्य मालभाड़ा यातायात प्रबंधक, /

CFTM मुख्य यंत्रिक अभियंता / CME, मुख्य अभियंता / CE, मुख्य विद्युत अभियंता / CEE, द.पू.म.रे बिलासपुर। प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा अधिकारी, / Principal Director of Audit दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर।

मुख्य वाणिज्य प्रबंधक / CCMs:- पूर्व रेलवे, कोलकाता, उत्तर रेलवे, नई दिल्ली, दक्षिण रेलवे, चैन्नई, पश्चिम रेलवे, चर्चगेट, मुंबई, मध्य रेलवे, मुंबई सीएसटी, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, मालीगांव गुवाहाटी, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद, पूर्व तटीय रेलवे, भुवनेश्वर, पश्चिम मध्य रेलवे, जयलपुर, उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर, दक्षिण पश्चिम रेलवे, हुबली, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर, दक्षिण पूर्व रेलवे, कोलकाता, दक्षिण मध्य रेलवे, सिकंदराबाद कार्यकारी निर्देशक, रेल मूवमेन्ट / EDRM, रेलवे बोर्ड, पूर्व रेलवे हाउस, कोलकाता।

कॉन्कोर, इस्को हाउस, 50, जवाहरलाल नेहरू रोड, कोलकाता

सीएओ(एफओआईएस), कीस चाणक्यपुरी नई दिल्ली.,

महाप्रबंधक, सीएओ/एफओआईएस, कीस चाणक्यपुरी नई दिल्ली., ओसीसी, कीस चाणक्यपुरी नई दिल्ली.,

कार्यपालन निर्देशक (यात्री विपणन), रेलवे बोर्ड, रेल भवन, नई दिल्ली।

विषय / Sub:- Classification of Iron Ore.

संदर्भ / Ref:- (i) Railway Board's letter No. TCR/1078/2015/24 dated 09.05.2016 (Rates Circular No. 16 of 2016).

(ii) This office Rates Circular No. 84(G)/2016.

उपर्युक्त विषयक रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या TCR/1078/2015/24 दिनांक 21/03/2017 (Rates Circular No.12/2017), आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत पूर्ण विवरण नीचे दिया जा रहा है।

Contd...2.

Rates Circular No. 58(G)/2017

1. Please refer to Rates Circular under reference whereby it was decided that the dual freight policy applicable for transportation of Iron Ore and Iron Ore Pelletes will be discontinued and all types of Iron Ore and Iron Ore Pellets, whether meant for domestic consumption for manufacture of Iron and Steel as well as Cement or meant for other than domestic consumption, will be charged at Class -165 (Trainload). These instructions are valid up to 31.03.2017.
2. The matter has been reviewed and the competent authority has decided that these instructions shall be extended beyond 31.03.2017 for a further period of one year i.e. up to 31.03.2018.
3. This issues in consultation with Traffic Transportation Directorate and with the concurrence of Finance Directorate of Ministry of Railways.

कृपया सभी संबंधित कर्मचारी नोट करें एवं तदनुसार कार्यवाही करें ।



(एस. एम. गोन्डाने)

उप मुख्य वाणिज्य प्रबन्धक/पण्य
कृते मुख्य वाणिज्य प्रबन्धक